(176)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 556—तीन/2007 विविध — विरूद्व आदेश दिनांक 30—4—2009 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा — प्रकरण कमांक 575/06—07 निगरानी एंव 2008—09 पुनरावलोकन

मध्य प्रदेश शासन
व्दारा
1— अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा
2— श्री निवास भगवानजी श्री त्रिदण्डी स्वामी प्रबंधक कलेक्टर रीवा
——आवेदक

विरूद्व

1— नारायण प्रसाद 2— चंद्रिकाप्रसाद
पुत्रगण बनमाली प्रसाद
3— बद्रीप्रसाद 4— लक्ष्मीनारायण
पुत्रगण रामायण प्रसाद
5— श्रीमती सरस्वती पत्नि स्व.रामायण प्रसाद
6— चन्द्रभान प्रसाद 7— इन्द्रभान प्रसाद
पुत्रगण स्व. जमुना प्रसाद
8— विश्रामप्रसाद पुत्र स्व.भगवान दीन प्रसाद
9— रामसजीवन 10— राजवॅश पुत्र देवशरण मिश्र
11— रामसेवक 12— रामफल 13— रामबहोर
पुत्रगण स्व.ठाकुरदीन
14— रामस्वरूप 15— त्रिवेणी सिंह 16— अनुसूईया सिंह
पुत्रगण रामनारायण सिंह
17— श्रीमती प्रभाव श्रीवास्तव पत्नि स्व. रमेशकुमार श्रीवास्तव
18— शैलेश 19— अभिशेष पुत्रगण स्व.रमेशकुमार श्रीवास्तव
20— मुस.कलावती पत्नि स्व. रामनाथ साकेल
21— तीरथ पुत्र साकेत
22— दिनेश 23— शिवचरण पुत्रगण रामनाथ
24— केशव पुत्रगण रामचेरे
सभी निवासीगण ग्राम सेमरिया तहसील हुजूर
जिला रीवा मध्य प्रदेश
——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्रीमती नीना पाण्डे)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री डी0पी0मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 8–2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 575/06–07 निगरानी पर से पॅजीबद्व प्र.क. 2008–09 पुनरावलोकन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–4–2009 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत यह विविध प्रकरण पॅजीबद्व किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सेमरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 267, 269, 270, 271, 450 कुल किता 9 कुल रकबा 11.958 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) शासकीय अभिलेख में सन 1925 से 1944 एंव 1956 से 2957 में निम्नानुसार भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है :–

" श्री निवास भगवानजी श्री त्रिदण्डी स्वामी प्रबंधक कलेक्टर रीवा"

भूमि मंदिर की एंव धार्मिक धर्मस्व विभाग (माफी/औकाफ) के होने से किसी अन्य को बंटन / व्यवस्थापन योग्य नहीं थी, फिर भी भूमियॉ अनावेदकगण के नाम किस प्रकार दर्ज हुई, जॉच करके नायव तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर ने कलेक्टर रीवा को प्रतिवेदन दिनांक 6–10–2000 प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर रीवा ने अनावेदकगण के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 166/2001–02 पॅजीबद्व किया तथा अनावेदकगण की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 26–6–2007 पारित किया तथा अनावेदकगण के नाम हुई श्री निवास भगवानजी श्री त्रिदण्डी स्वामी प्रबंधक कलेक्टर रीवा की भूमि पुनः पूर्ववत् दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्र.क.575/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–3–2008 से निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर रीवा का

आदेश दिनांक 26—6—2007 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 26—3—2008 को पुनरावलोकन में लिये जाने हेतु कलेक्टर रीवा ने पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अंतरिम आदेश दिनांक 30—4—09 पारित कर पुनरावलोकन अनुमति हेतु प्रस्ताव दिये है। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी प्रस्ताव पर से यह विविध प्रकरण है।

3/ प्रकरण में आये तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि विवादित भूमि श्री निवास भगवानजी श्री त्रिदण्डी स्वामी प्रबंधक कलेक्टर रीवा के नाम की है कपट एंव जालसाजी के आधार पर श्री निवास भगवानजी श्री त्रिदण्डी स्वामी प्रबंधक कलेक्टर रीवा की भूमि शासन पक्ष को सुने बिना अनावेदकगण के नाम की गई है, जिसकी जानकारी कलेक्टर रीवा को नायव तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर के प्रतिवेदन दिनांक 6—10—2000 से हुई है और कलेक्टर रीवा से जानकारी होते ही अनावेदकगण के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज करके पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने अनावेदकगण को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कानून की मंशा के विपरीत आदेश दिनांक 26—3—2008 पारित किया है जिसमें विधिक त्रृटियॉ होने से आयुक्त, रीवा संभाग ने पुनरावलोकन की अनुमति मांगी है जिसका नियमों प्रावधान है।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि भूमियां देवस्थानी नहीं है मठ की भूमियां हैं अनावेदकगण वादग्रस्त भूमियों के भूमिस्वामी है । दीर्घकाल गुजर जाने के वाद कलेक्टर रीवा स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। स्वमेव निगरानी के लिये एक वर्ष का समय भी अनुचित माना गया है। उन्होंने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 575/2006—07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26—3—2008 को उचित

बताते हुये पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अभिलेख के अवलोकन से मामला कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 26—6—2007 के परीक्षण का अथवा स्वमेव निगरानी लम्बे अरसे वाद दर्ज करने पर विचार का नहीं है प्रकरण में विचार किया किया जाना है कि क्या अपर आयुक्त रीवा संभाग के अंतरिम आदेश दिनांक 30—4—2009 में दर्शाए गए आधारों के परिप्रेक्ष्य में तत्का. अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 575/2006—07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26—3—2008 के पुनरावलोकन की अनुमति दिया जाना उचित है ? कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 26—6—2007 से वादग्रस्त भूमियॉ श्री निवास भगवानजी श्री त्रिदण्डी स्वामी प्रबंधक कलेक्टर रीवा के नाम की होना पाकर अनावेदकगण के नाम से हटाकर पुनः श्री निवास भगवानजी श्री त्रिदण्डी स्वामी प्रबंधक कलेक्टर रीवा के नाम दर्ज की हैं जबकि वादग्रस्त भूमियों के बारे में अनावेदकगण का कहना है कि कलेक्टर ने वादग्रस्त भूमियॉ अनावेदकगण के नाम दर्ज होने के 14 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी विलम्ब से की है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 26—3—2008 में निष्कर्ष दिया है कि 14 वर्षों वाद स्वप्रेरणा से निगरानी किया जाना कतई न्यायानुकूल नहीं है और इसी आधार पर उन्होंने कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 26—6—07 को निरस्त कर दिया है। पुनरावलोकन प्रस्ताव में बताया गया है अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 26—3—2008 में निम्नवत् खामियॉ होना बताया गया है :—

" कलेक्टर एंव मठ के पुजारी को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही विवादित आराजियात खतौनी वर्ष 1924—25 एंव 1958—59 देखा गया, स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर प्रकरण के निराकरण के लिये कोई समय सीमा नहीं होती। साथ ही अपनी आदेश पत्रिका में कलेक्टर से प्रतिवेदन प्राप्त करने का आदेश दिया परन्तु वगैर प्रतिवेदन प्राप्त किये अंतिम आदेश पारित कर दिया , त्रिदण्डी मठ के पुजारी को भी सुनवाई के लिये नहीं बुलाया गया। राज्य शासन के धर्मार्थ विभाग के ज्ञापन/निर्देशों का भी अवलोकन नहीं किया गया।"

अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा पुनरावलोकन अनुमति हेतु भेजे गये उक्तानुसार प्रस्ताव पर विचार किया गया। यह सही है कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 26—3—2008 पारित करने के पूर्व निगरानी प्रकरण कमांक 575/06—07 के अनावेदक म0प्र0शासन एंव श्री निवास भगवानजी श्री त्रिदण्डी स्वामी के प्रबंधक कलेक्टर रीवा अथवा मठ पर पदस्थ पुजारी को सुनवाई हेतु न तो सूचना पत्र भेजा है और न ही पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, अपितु अनावेदकगण के पक्ष को सुनकर शासन अथवा प्रबंधक कलेक्टर/ मठ के पुजारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश दिनांक 26—3—08 पारित कर दिया है और ऐसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल/त्रृटि के कारण संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनरावलोकन अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष पुनरावलोकन प्रकरण में अनावदेकगण को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा व्दारा पुनरावलोकन अनुमति वावत् प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 30—4—2009 स्वीकार किया जाकर पुनरावलोकन अनुमति प्रदान की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर